TelegraphicAddress :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24651001 - 07

फैक्स/Fax : 24616286

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023

सं./ No. संख्या-016/वीजीएल/030
दिनांक / Dated 23.09.2016

परिपत्र सं-10/09/16(II)

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 19.09.2016 के अपने समसंख्यक परिपत्र द्वारा इस वर्ष 31 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करने के अनुदेश जारी किए थे । इस सप्ताह का विषय **"ईमानदारी को प्रोत्साहन देने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सहभागिता"** है ।

2. संगठनों के भीतर आयोजित किए जाने के लिए आयोग द्वारा सुझाए गए क्रियाकलापों तथा जनसाधारण/नागरिकों के लिए सुझाई गई विशिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त, इस वर्ष के विषय के अनुरूप, बृहत् जागरूकता उत्पन्न करने तथा जनसाधारण की व्यापक रूप से सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने **"सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा"** की एक संकल्पना पर विचार किया है । तदनुसार, भ्रष्टाचार का निवारण करने एंव उससे संघर्ष करने के लिए दो सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाओं पर विचार किया गया है जिसमें नागरिकों का सहयोग एवं प्रतिबद्धता प्राप्त करना तथा दूसरी निगमों/प्रतिष्ठानों/फर्मों आदि विशेषकर निजी क्षेत्र के लिए है ।

3. सभी नागरिकों तथा निगमों, प्रतिष्ठानों, फर्मों द्वारा ली जाने वाली दोनों **"सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाएं"** जिनमें भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि है तथा नैतिक आचरण, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखे जाने की अभिपुष्टि है, आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic..in में ई-प्रतिज्ञा के रूप में उपलब्ध रहेंगी । व्यापक सहभागिता के लिए सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन अपनी संबंधित वेबसाईट/इंट्रानेट पर सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाओं के हाइपरलिंक भी उपलब्ध कराएं । सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने वाले नागरिकों एवं संगठनों को, भ्रष्टाचार-रोधी' कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मानने तथा उनकी सराहना करने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा । दोनों **"सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाओं"** की प्रति संलग्न है ।

4 आयोग सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से अनुरोध करता है कि सभी पणधारियों की व्यापक सहभागिता प्राप्त करने के लिए इस पहल का प्रचार एवं प्रसार करे तथा साथ ही अपने उपभोक्ताओं/जनता तथा निगमों/प्रतिष्ठानों/फर्मों आदि को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित करें ।

5. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

ह0-
(नीलम साहनी)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
(ii) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ।
(iv) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
(v) मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग ।
(vi) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों/समितियों के मुख्य कार्यकारी ।
(vii) मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

<u>नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा</u>

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है । मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है ।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए ।

अत:, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- जनहित में कार्य करूँगा ;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा ।

<u>संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा</u>

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है । हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है ।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं ।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा ।

अत:, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं ;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे ।